# न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शांतनु सिंह खंगारोत R.J.S.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23/124/2016
सी.आई.एस. नम्बर : 205/2017
एफआईआर सं. : 29/2016
पुलिस थाना : टहला

राजस्थान राज्य **बनाम** पून्याराम

**अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट**

**भाग–1**
**अ**

| | |
|---|---|
| शिकायतकर्ता | श्री जयराम |
| अधिवक्ता परिवादी | सहायक अभियोजन अधिकारी |
| अभियुक्त का नाम व विवरण | पून्याराम पुत्र शंकरलाल, उम्र 30 साल, निवासी नयागांव प्रतापपुरा थाना टहला जिला अलवर। |
| अधिवक्ता अभियुक्त | श्री भगवानसहाय शर्मा |

**भाग –2**
**अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची**

**अ. अभियोजन साक्षीगण**

| **रैंक** | **नाम** | **साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)** |
|---|---|---|
| पी.डबल्यू 01 | कल्लूराम | पुलिस साक्षी |
| पी.डबल्यू 02 | रामप्रताप | पुलिस साक्षी |
| पी.डबल्यू 03 | जयराम | परिवादी |
| पी.डबल्यू 04 | देवीसहाय | पुलिस साक्षी |

**ब. बचाव साक्षीगण**

| **रैंक** | **नाम** | **सक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)** |
|---|---|---|
| निल | निल | निल |

## अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

**अ. अभियोजन पक्ष**

| कमांक | प्रदर्श क्रमांक | विवरण | गवाह जिसके द्वारा प्रदर्शित करवाया गया |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी 01 | फर्द जब्ती ट्रैक्टर मय ट्रोली | pw-01, 03 |
| 2 | प्रदर्श पी 02 | फर्द गिरफ्तारी एवं जमा तलाशी मुलजिम | pw-01, 03 |
| 3 | प्रदर्श पी 03 | नक्शामौका | pw-01, 02, 03, 04 |
| 4 | प्रदर्श पी 04 | फर्द जब्ती असल कागजात | pw- 01, 02, 04 |
| 5 | प्रदर्श पी 05 | नकल रपट रोजनामचा | pw- 03, 04 |
| 6 | प्रदर्श पी 06 | चाक एफआईआर | pw-02, 03 |
| 7 | प्रदर्श पी 07 | नकल मालखाना रजिस्टर | pw-02, 04 |

**ब. बचाव पक्ष**

| कमांक | प्रदर्श कमांक | विवरण |
|---|---|---|
| निल | निल | निल |

**<u>नि र्ण य</u>** **<u>दिनांकः 07.04.2026</u>**

01. इस आपराधिक प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी जयराम दिनांक 04.02.2016 को समय 06.00 पीएम पर मय कानि0 कल्लूराम 715, कानि0 रामप्रताप 595 मय जीप सरकारी मय चालक के वास्ते गश्त व अवैध चैकिंग बजरी हेतु थाने से समय 06.00 पीएम बतरफ कस्बा टहला, कोटकी रामपुरा, मल्लाना, पालपुर रवाना हुआ। गश्त करता हुआ पालपुर से आगे समय करीब 07.30 पीएम पर पहुंचा जहां पर नाकाबंदी की गई। दौराने नाकाबंदी चैकिंग में एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी भरा धोलीखान की तरफ से आया। ट्रैक्टर चालक को इशारा देकर रूकवाया। ट्रैक्टर मय टोली को चैक किया तो ट्रैक्टर नंबर आरजे 02 आरबी 4782 मय ट्रॉली बजरी करीबन 50 मन भरी हुई मिली। चालक से बजरी लाने बाबत लाइसेंस पूछा तो चालक ने अपने पास कोई लाइसेंस होना नही बताया। चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम पून्याराम पुत्र शंकरलाल मीना, उम्र 30 साल निवासी नयागांव प्रतापपुरा थाना टहला जिला अलवर राज0 को होना बताया। शख्स चालक का

ट्रैक्टर मय ट्रॉली में पचास मन बजरी का अवैध खनन चोरी करके भरकर परिवहन करना जुर्म धारा 4/21एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट, 379 भारतीय दंड संहिता का कृत्य पाए जाने पर टैक्टर मय टॉली बजरी को मौके पर जरिए फर्द जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस में लिया गया। चालक पून्याराम को संवैधानिक अधिकारो व जुर्म धारा _4/21 एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट, 379 भारतीय दंड संहिता तथा न्यायालय की पालना में नोटिस 41 (1) (बी) (2) सीआरपीसी से आगात कर जरिए फर्द मौके पर गिरफ्तार किया जाकर मौके पर स्वतंत्र गवाहान नही होने पर हमराह जाप्ता के कानि0 कल्लूराम 715, कानि0 रामप्रताप 595 को गवाह बनाया गया............इत्यादि। रिपोर्ट पर पुलिस थाना टहला में एफ.आई.आर नं 29/2016 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त पून्याराम के विरूद्व अपराध धारा 379 भा0दं0सं0 एवं **4/21 एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट** में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

02. अभियुक्त को दिनांक 19.11.2016 को अपराध अंतर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिसपर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

04. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का अपराध में संलिप्त नहीं होना जाहिर करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

**1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2016 को समय करीब 07.30 पीएम पर पालपुर से आगे धोलीखान की ओर से एक ट्रैक्टर नंबर आरजे 02 आरबी 4782 मय ट्रॉली में बिना खनन विभाग की अनुमति के बेईमानीपूर्ण चोरी करने के आशय से करीब 50 मन बजरी भरकर ले जाते हुए पाया गया एवं 50 मन बजरी अवैध रूप से बिना टी.पी. लाईसेंस व रवन्ना के चोरी से परिवहन कर बचने के लिए ले जा रहे थे। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 379 आई.पी.सी. व 4/21 एमएमसीआर एक्ट व**

**48/68 एमएमसीआर एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है?**

**2. यदि हॉ तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?**

07. हस्तगत प्रकरण का उद्गम दिनांक 04.02.2016 को पुलिस थाना टहला के एसएचओ जयराम चौधरी के द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही से हुआ है। प्रकरण के संदर्भ में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2016 को समय 06.00 पीएम पर मन एसएचओ जयराम चौधरी मय कानि0 कल्लूराम 715, कानि0 रामप्रताप 595 मय जीप सरकारी मय चालक के वास्ते गश्त व अवैध चैकिंग बजरी हेतु थाने से समय 06.00 पीएम बतरफ कस्बा टहला, कोटकी रामपुरा, मल्लाना, पालपुर रवाना हुआ। गश्त करता हुआ पालपुर से आगे समय करीब 07.30 पीएम पर पहुंचा जहां पर नाकाबंदी की गई। दौराने नाकाबंदी चैकिंग में एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी भरा धोलीखान की तरफ से आया। ट्रैक्टर चालक को इशारा देकर रूकवाया। ट्रैक्टर मय टोली को चैक किया तो ट्रैक्टर नंबर आरजे 02 आरबी 4782 मय ट्रॉली बजरी करीबन 50 मन भरी हुई मिली। चालक से बजरी लाने बाबत लाइसेंस पूछा तो चालक ने अपने पास कोई लाइसेंस होना नही बताया। चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम पून्याराम पुत्र शंकरलाल मीना, उम्र 30 साल निवासी नयागांव प्रतापपुरा थाना टहला जिला अलवर राज0 को होना बताया। शख्स चालक का ट्रैक्टर मय ट्रॉली में पचास मन बजरी का अवैध खनन चोरी करके भरकर परिवहन करना जुर्म धारा 4/21एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट, 379 भारतीय दंड संहिता का कृत्य पाए जाने पर टैक्टर मय टॉली बजरी को मौके पर जरिए फर्द जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस में लिया गया। चालक पून्याराम को संवैधानिक अधिकारो व जुर्म धारा _4/21 एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट, 379 भारतीय दंड संहिता तथा न्यायालय की पालना में नोटिस 41 (1) (बी) (2) सीआरपीसी से आगात कर जरिए फर्द मौके पर गिरफ्तार किया जाकर मौके पर स्वतंत्र गवाहान नही होने पर हमराह जाप्ता के कानि0 कल्लूराम 715, कानि0 रामप्रताप 595 को गवाह बनाया गया............इत्यादि। उक्त जयराम प्रकरण में परिवादी के रूप में **गवाह पी.ड.3** के रूप में परीक्षित हुआ है। गवाह ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर किया है कि ''मैं दिनांक 04.02.2016 को पुलिस थाना टहला पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज समय 6:00 पी.एम. पर मन थानाधिकारी हमराह जाब्ता कानि. रामप्रताप, कल्लूराम मय जीप सरकारी चालक के थाने से रवाना होकर ईलाका गस्त करते हुए टहला, कोटड़ीरामपुरा, मल्लाना, पालपुर पहुंचे, जहाँ करीब 7:30 पी.एम. पर नाकाबंदी शुरू की तो नाकाबंदी व बैंकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर फार्म ट्रेक–45 नंबर आर.जे. 02 आर.बी. 4782 मय ट्रोली रंग नीला, जिसमें बजरी भरी हुई थी जो कि घोलीखान की तरफ से आया था, जिसे मन एसएचओ ने मय जाब्त के हाथ का ईशारा देकर रूकवाया तथा चालक का नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम पून्याराम पुत्र शंकर, निवासी–नयागांव प्रतापपुरा होना बताया। ट्रैक्टर की ट्रोली को चैक किया तो उसमें करीब 50 मन बजरी भरी होना पाया। ट्रैक्टर चालक से वैध रवन्ना व लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो नहीं होना बताया तथा बजरी

रेहडिया से अवैध चोरी कर खत्तन कर लाना बताया था। आस–पास के लोगों को स्वतन्त्र गवाह बनाना चाहा तो कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर हमराही जाब्ते में से हो कल्लूराम व रामप्रताप को मौतबीर मामुर कर अभियुक्त पून्याराम के कब्जे से गिले एक ट्रैक्टर फार्म ट्रक 45 नंबर आर.जे. 02 आर.बी. 4782 मय ट्रोली रंग नीला मय बजरी 50 मन को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 01 के जब्त किया। अभियुक्त को जुर्म से आगाह कर जरिये प्रदर्श पी. 02 के गिरफ्तार किया, जिस पर ए से बी व. ई स एफ मौतबीरान के, सी से डी अभियुक्त के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर मय माल मुलजिम वापसी थाने आए तथा माल जमा मालखाना करवाया तथा अभियुक्त को बंद हवालात करवाया गया। अभियोग पंजीबद्ध किया गया। रपट मजबूर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 06 है, जिन दोनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण के आई.ओ. देवी सहाय हैड कानि. ने दिनांक 05.02.2016 को मेरी निशादेही पर व मौतबीर कल्यम व रामप्रताप की उपस्थिति में घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी. 03 है, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण के आई. ओ. द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त पून्याराम पुत्र शंकर, निवासी– नयागांव प्रतापपुरा के विरूद्ध धारा 379 भादस, 4 / 21 एमएमडीआर एक्ट व 48 / 68 एमएमसीआर एक्ट का अपराध प्रमाणित पाकर पत्रवली मन एसएचओ के समक्ष पेश की, जिस पर मेरे द्वारा चार्जशीट नंबर 15 दिनांक 08.02.2016 किताकर चालान श्रीमान न्यायालय में पेश किया। उक्त गवाह ने **<u>जिरह</u>** में यह स्वीकार किया है कि एफआईआर दर्ज होने से पूर्व ही फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा चुकी थी। गवाह यह स्वीकार करता है कि चैकिंग से पूर्व अभियुक्त को धारा 50 द.प्र. सं. का नोटिस दिया था। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि ट्रेक्टर ट्रोली में भरी हुई बजरी का वजन नहीं करवाया था, केवल अनुमानित वजन माना था। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि उसके द्वारा अभियुक्त जिस स्थान से बजरी भरकर लाया, उस स्थान पर जाकर कोई अनुसंधान नहीं किया है। गवाह स्वीकार करता है कि उसने प्रकरण अनुसंधान उसके अधीनस्थ हैड कानि को सुपुर्द किया था तथा उसने उसके उच्चाधिकारियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया था। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि स्वतन्त्र गवाह कोई व्यक्ति बनने को तैयार नहीं हुआ और अपने अधीनस्थ कार्मिकों को गवाह बनने के लिए उसके द्वारा कहा गया, इस संबंध में उसने पृथक से कोई फर्द तैयार नहीं की थी। थी। प्रदर्श पी. 01 व पी 02 फर्द उसके द्वारा ही तैयार की गई थी। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी. 01 व पी. 02 में स्वतन्त्र गवाह बनने के लिए लोगों ने मना किया तथा पुलिस कार्मिकों को ही गवाह बनाया गया, ऐसा अंकन उसके द्वारा नहीं किया गया है अजखुदकहा रोजनामच रपट प्रदर्श पी. 05 में उसने ऐसा अंकन किया हुआ है। गवाह स्वीकार करता है कि किसी भी व्यक्ति ने पृथक से कोई तहरीर बजरी चोरी होने बाबत नही दी थी। गवाह स्वीकार करता है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी3 में अभियुक्त द्वारा रेहडिया से बजरी चोरी कर लाए जाने वाली बात अंकित

नही है। गवाह इस तथ्य से इंकार करता है कि अभियुक्त द्वारा अवैध खनन नही किया हो और ना ही बजरी चोरी की हो।

08. पुलिस थाना टहला के द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही के समय जयराम के साथ रामप्रताप एवं कल्लूराम भी मौजूद थे। उक्त रामप्रताप एवं कल्लूराम गवाह पी.ड.2 एवं पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुए है। **<u>गवाह पी.ड. 2 रामप्रताप</u>** ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर किया है कि वह दिनांक 04.02.2016 को पुलिस थाना टहला पर कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ जयराम चौधरी के साथ वह व कानि, कल्लूराम मय जीप सरकारी समय 6:00 पी.एम. पर थाना से रवाना होकर ईलाका गस्त करते हुए पालपुर पहुंचे, जहाँ पर नाकाबंदी कर रहे थे, कि दौराने नाकाबंदी एक ट्रैक्टर मय ट्रोली पालपुर की तरफ से आ रहा था, जिसे एसएचओ ने मय जाब्ते के ईशारा देकर रूकवाया, जिस पर ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम पून्याराम होना बताया। ट्रैक्टर की ट्रोली को चैक किया तो उसमें 50 टन बजरी भरी हुई थी, फिर कहाँ 50 मन बजरी भरी हुई थी। बजरी के लाने बाबत चालक से लाईसेंस बाबत पूछा तो उसने लाईसेंस नहीं होना बताया, जिस पर एसएचओ ने अभियुक्त के कब्जे से मिली बजरी उसके व सिपाही कल्लूराम को मौतबीर मामुर कर जरिये फर्द प्रदर्श पी. 06 के जब्त किया। अभियुक्त पून्याराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 07 के जब्त किया, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। मय माल अभियुक्त थाने पर आए। प्रकरण के आई.ओ. ने घ टना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है। ट्रैक्टर की आर. सी., आई.सी. व चालक का डी.एल जब्त किया जो प्रदर्श पी. 04 है, जिन दोनों पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह को वाहन ट्रैक्टर के नंबर की हद तक कन्फर्ट किया गया। उसने एसएचओ के साथ जिस बजरी के ट्रैक्टर को रोका था, उसके नंबर आर जे. 02 आर.बी. 4782 है। उक्त गवाह ने स्वयं की **<u>जिरह</u>** में जाहिर किया कि उसके पुलिस बयान ट्रैक्टर जब्त करने के दिन ही लिये थे, लेकिन दिनांक उसे आज याद नहीं है, फिर कहाँ दिनांक 04.02.2016 को लिये थे जो सुबह के करीब 12 बजे लिये थे। उन्होनें सुबह के समय नाकाबंदी की थी। घटना के दिन उनके सरकारी वाहन का चालक, कानि चालक हरिशंकर व मोतीराम थे। गवाह स्वीकार करता है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 02 के ए से बी भाग में कानि. कल्लूराम का नाम अंकित नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि नाकाबंदी के दौरान काफी लोग आ–जा रहे थे। एसएचओ ने नाकाबंदी में पकडे गए ट्रैक्टर बाबत आने–जाने वाले राहगीरों को कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन हस्ताक्षर करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। ट्रैक्टर के नंबर उसे आज याद नहीं है। है। मौके पर ट्रैक्टर की ट्रोली में भरी बजरी को किसी यंत्र से नहीं नापा था, केवल अनुमान से वजन माना था। जब्त बजरी को खनन विभाग से चैक करवाया था या नहीं, कि यह बजरी है या मिट्टी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। गवाह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसने प्रदर्श पी. 03 पर पढ़–लिखकर हस्ताक्षर किये थे। गवाह

स्वीकार करता है, कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 पर दिनांक 04.01.2016 अंकित है। नक्शा मौका घटना के दिन ही बनाया था। टैक्टर व ट्रोली का कलर कैसा था, आज उसे याद नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य चश्मदीद **गवाह पी.ड.1 कल्लूराम** ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर किया है कि वह दिनांक 04.02.2016 को कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना टहला में तैनात था। उस दिन वह जयराम चौधरी के साथ रामप्रसाद कानि. मय जीप सरकारी चालक थाने से 6.00 पीएम पर थाने से रवाना होकर इलाका गश्त करते हुए पालपुर से आगे नाकाबन्दी कर रहे थे। दौराने नाका बन्दी धोलीखान की तरफ से एक ट्रेक्टर आ रहा था जो फार्म ट्रेक्टर नीले रंग का था जिसके नम्बर आरजे–02–आरबी–4782 थे जिसके ट्रोली लगी हुई थी जिसे रूकवाकर थानेदार ने नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम पून्याराम बताया जो नया गाँव प्रतापपुरा का था। ट्रेक्टर ट्रोली में भरी 50 मन बजरी लाने के बारे में पूछा तो कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया व रेहड़िया से अवैध चोरी कर लाना बताया, जिस पर जाप्ते मे से उसे व रामप्रताप को गवाह मामूर कर मुलजिम के कब्जे से मिले ट्रेक्टर ट्रोली मय 50 मन बजरी जरिये फर्द प्रदर्श पी 01 जप्त किया। मुलजिम को जुर्म से आगाह कर जर्ये फर्द प्रदर्श पी 02 के गिरफतार किया जिन दोनो पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। मय माल मुलजिम वापिस थाना आकर एसएचओ ने मुकदमा दर्ज कर दिया। देवीसहाय एचसी ने एसएचओ के निशादेही से उसके व रामप्रसाद की उपस्थित में घटना स्थल का नक्शा कशीद किया जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 06.01. 2016 को मुलजिम द्वारा पेश करने पर जप्तशुदा ट्रेक्टर का इन्शोरेन्स, आरसी, डीएल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 04 के जप्त किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह स्वयं की **जिरह** मे यह स्वीकार करता है कि वह मुलजिम को पहले से नही जानता था व ना ही उसके गांव को उसने पहले कभी देखा था। गवाह यह स्वीकार करता है कि टहला से धोलीखान के बीच में काफी ट्रक चलते है तथा जहां पर ट्रैक्टर रूकवाया वहां पास में ही कालपुर की आबादी थी। वहां लोग इकट्‌ठे नही हुए थे। गवाह स्वीकार करता है कि नक्शामौके के ऊपर दिनांक 04.01.2016 लिखा हुआ है तथा उन्होने मौके पर ट्रैक्टर को जब्त किया व मौके पर ही मुलजिम को गिरफ्तार किया व एफआईआर थाने पर आकर लिखी। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि मुलजिम को गिरफ्तार व ट्रैक्टर को रिपोर्ट लिखने से पूर्व ही जब्त किया था। बयान दिनांक 04. 01.2016 को मौके पर से आने के बाद थाने पर लिए थे व शाम को 07.15 बजे लिए थे। गवाह स्वीकार करता है कि एफआईआर 07.30 बजे शाम को दर्ज हुई है। प्रदर्श डी1 में रहडिया से बजरी लाना नही लिखा है तथा उसने अपने धारा 161 के बयान पढे थे। गवाह स्वीकार करता है कि उनके थाने के एसएचओ साहब जयराम जी थे व गवाह इस तथ्य से इंकार करता है कि उनके दबाव में आकर वह झूठे बयान दे रहा है व उसने झूठे हस्ताक्षर किए हो। वह उस स्थान पर नही गया, जहां से बजरी लाए थे।

09. **<u>गवाह पी.ड.4 देवीसहाय</u>** प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो स्वयं के मुख्य परीक्षण में दौराने अनुसंधान उसके द्वारा दिनांक 05.02.2016 को घ टनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी3 बनाए जाने, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए जाने, वाहन के कागजात जरिए फर्द प्रदर्श पी4 जब्त किए जाने, जब्ती अधिकारी जयराम एसएचओ द्वारा जब्तशुदा माल पेश करने पर जमा मालखाना करवाए जाने तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली चालान हेतु पेश किए जाने का तथ्य जाहिर करता है। उक्त गवाह **<u>जिरह</u>** में मुख्य रूप से जाहिर करता है कि जब पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई, उससे पहले फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी तैयार हो चुकी थी। उसने जब्तशुदा माल बजरी थी या खेत से उठाया गई रेत थी, इसकी जांच हेतु कोई सैम्पल एफएसएल में नहीं भेजा था। गवाह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा इस संबंध में यह अनुसंधान नहीं किया गया था कि जब्तशुदा बजरी किस खसरा नंबर की आराजी से उत्खनन करके लाई गई थी। गवाह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा अनुसंधान में जब्तशुदा बजरी का वजन नहीं करवाया गया था कि जब्तशुदा 50 मन हो। गवाह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 पर किसी स्वतन्त्र गवाहन के हस्ताक्षर नहीं है, अजखुदकहा स्वतन्त्र गवाह बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। गवाह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा प्रकरण में किसी स्वतन्त्र गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं किये है।

10. इस प्रकार अभियोजन का संपूर्ण मामला इस तथ्य पर आधारित है कि दिनांक 04.02.2016 को गवाहान पी.ड.3 जयराम, पी.ड.1 कल्लूराम एवं पी.ड.2 रामप्रताप सिंह की उपस्थिति में उनके द्वारा नाकाबंदी की गई एवं पालपुर में एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली को रोका गया। उक्त ट्रैक्टर का चालक अभियुक्त पून्याराम था। ट्रैक्टर में पचास मन बजरी भरी हुई थी, जिसके बाबत अभियुक्त के पास लाइसेंस अथवा रवन्ना नही था। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा ही मामला पंजीबद्ध किया गया है तथा खनिज विभाग की ओर से कोई पृथक् से परिवाद प्रस्तुत नही किया गया है, ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से खनिज विभाग के किसी अधिकारी को परीक्षित करवाया गया है। इस संदर्भ में सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। धारा 22 एमएमडीआर एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि एमएमडीआर एक्ट के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नही ले सकता, जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत ना किया जावे। हस्तगत प्रकरण में मामला पुलिस के द्वारा किए गए अनुसंधान पर प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर संस्थित हुआ है। उपरोक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में न्यायालय के विनम्र मतानुसार पृथक् से लिखित परिवाद के बिना न्यायालय द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट, <u>48/68</u> एमएमसीआर नियमावली के तहत प्रसंज्ञान नही लिया जा सकता था, जब न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान ही नही

लिया जा सकता था, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को उपरोक्त धाराओ में दोषसिद्ध भी नही किया जा सकता है।

11. जहां तक अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रश्न है, उक्त अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि चल प्रकृति की संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे से बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय से हटाया गया हो। चोरी के अपराध को साबित करने हेतु सबसे मूलभूत तत्व यह है कि संपत्ति किसी की हो तथा उसे किसी के कब्जे से हटाया गया हो, जबकि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी व्यक्ति, खनन विभाग अथवा राज्य सरकार के प्रतिनिधि को इस संदर्भ में परीक्षित नही किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उनसे बजरी की चोरी की गई हो। मात्र मौखिक रूप से यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने उन्हें बताया कि वह रेहडिया से अवैध बजरी चोरी कर लाया है, चोरी का अपराध सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नही है। यहां यह तथ्य भी गौर किए जाने योग्य है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अनुसंधान नही किया गया कि जब्तशुदा बजरी किस खसरा संख्या की भूमि से लाई गई थी। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब्तशुदा बजरी का वजन भी नही करवाया गया, ना ही इस संदर्भ में किसी खनिज विभाग के अधिकारी को परीक्षित किया गया। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से स्पष्ट है कि बजरी की चोरी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध नही करवाया गया था, जब प्रकरण में चोरी की गई वस्तु का स्वामी ही स्थापित नही है, ऐसी परिस्थिति में उसे किसी के कब्जे से ले जाने की बात भी प्रमाणित नही होती है। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रमाणित नही होता है कि अभियुक्त के द्वारा स्वामी के कब्जे से बेईमानीपूर्ण आशय से बजरी हटाई गई हो। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य से मात्र यह माना जा सकता है कि अभियुक्त बिना परमिट/रवन्ना के बजरी का परिवहन कर रहा था। उक्त बिना दस्तावेज के परिवहन अवैध हो सकता है, किंतु वह अपने आपमें ही चोरी के अपराध के घटक तत्वो को सिद्ध नही करता है। इसके अतिरिक्त क्योकि खनिज विभाग की ओर से लिखित में परिवाद प्रस्तुत नही किया गया है, ऐसी परिस्थिति में उक्त बिना परमिट/रवन्ना के परिवहन के संदर्भ में भी अभियुक्त की दोषसिद्धी नही की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2016 को समय करीब 07.30 पीएम पर पालपुर से आगे धोलीखान की ओर से एक ट्रैक्टर नंबर आरजे 02 आरबी 4782 मय ट्रॉली में बिना खनन विभाग की अनुमति के बेईमानीपूर्ण चोरी करने के आशय से करीब 50 मन बजरी भरकर ले जाते हुए पाया गया एवं 50 मन बजरी अवैध रूप से बिना टी.पी. लाईसेंस व रवन्ना के चोरी से परिवहन कर बचने के लिए ले जा रहे थे। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**:: आदेश ::**

12. अतः अभियुक्त पून्याराम पुत्र शंकरलाल, उम्र 30 साल, निवासी नयागांव प्रतापपुरा थाना टहला जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट, 48/68 एमएमसीआर एक्ट के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एवं उसके कागजात पूर्व से सुपुर्दगीनामें एवं जमानतनामे पर है, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे।

14. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त धारा 437 ए सी.आर.पी.सी. के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक प्रभावी 10000–10000 रूपए के जमानत व बंधपत्र पेश करें।

**(शांतनु सिंह खंगारोत)**
**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**राजगढ, जिला अलवर**

15. निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

**(शांतनु सिंह खंगारोत)**
**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**राजगढ, जिला अलवर**